78

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रॉकः /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2014–15 दिनाँकः 13/8/ , 2014

कार्यालय ज्ञाप

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या 497/XXVII(1)/2014 दिनांक 29 मई 2014 तथा पत्र संख्या 645/XXVII(1)/2014 दिनांक 14–07–2014 व प्रमुख सचिव नियोजन के पत्र संख्या 747/405 वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2013 दिनांक 04–07–2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जिला योजना वर्ष 2014–15 हेतु आयुर्वेद चिकित्सा विभाग की चालू योजनाओं के अर्न्तगत गत वर्ष 2013–14 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक आयुर्वेद चिकित्सा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	मद का नाम	योजना स्वीकृति का वर्ष	योजना की लागत	निर्गत धनराशि 2014–15 हेतु		
				सामान्य	एस0सी0पी0	टी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय गिरगांव	2012-13	45.23	4.91	-	-
2	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नाचनी	2012-13	46.28	21.86	-	-
3	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय राथीबोरागांव	2013-14	66.34	6.78	-	-
4	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भिनगड़ी	2013-14	49.92	-	29.92	-
	योग–			**33.55**	**29.92**	

उक्त शासनादेश में दिये गए निर्देशानुसार तथा जिला आयुर्वेद एंव यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2014–15 में जिला योज़ना के कार्य के सम्पादन हेतु **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनाँक 24.03.2008 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार 63.47 लाख रू0 (तिरेसठ लाख सैतालीस हजार रूपये) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–**

1. उक्त शासनादेशों में उल्लेखित समस्त शर्तो एवं प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो/बचनवद्ध मदों में ही किया जायेगा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय आवंटित सीमा तक किया जाए। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेश के तहत् किया जाए जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/ स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
3. जिन मामलो में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियॉ अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाए जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय सीमा के अर्न्तगत कर लिया जाए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाए।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुवल) तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

कमशः.....2

7. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाऐगा।
8. मासिक व्यय विवरण/बी0एम0–8 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उक्त शासनादेशों में उल्लेखित सुसंगत लेखा शीर्षकों के नामे डाला जाएगा।
10. नये कार्यो में धनराशि वर्ष 2014–15 की जिला योजना समिति से अनुमोदन के उपरान्त ही व्यय की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
11. **अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी जिला आयुर्वेद एंव यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ की होगी।**

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्याः 365 /जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2014–15 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
2. निदेशक, आयुर्वेदिक यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।